सत्यमेव जयते

अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि $\frac{\text{23 माघ, 1947 (श०)}}{\text{12 फरवरी, 2026 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 69

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	07
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	28
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	12
(4)	कृषि विभाग	11
(5)	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग	08
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	02
(7)	सहकारिता विभाग	01
	कुल योग --	69

चहारदीवारी का निर्माण

*816. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लु गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड सुगौली में अवस्थित सुगाव कृषि फॉर्म की जमीन का चहारदीवारी नहीं होने से स्थानीय लोगों द्वारा फॉर्म की जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कृषि फॉर्म की जमीन का चहारदीवारी निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आर्सेनिक मुक्त पेयजल उपलब्ध कराना

*817. श्री भाई बिरेंद्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत प्रखंड मनेर एवं बिहटा स्थित ग्राम-महिनावाँ, गौरेया स्थान सहित दर्जनों ग्राम में पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक होने से स्थानीय लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों प्रखंडों के ग्रामों को चिहित कर आर्सेनिक मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ड्रेनेज की व्यवस्था

*818. श्रीमती शीला कुमारी (क्षेत्र संख्या-39 फुलपरास)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के नगर पंचायत फुलपरास एवं घोघरडीहा के ग्रामीण हाटों में जल-जमाव रहता है, जिसके कारण व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित होता है एवं आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर पंचायतों के ग्रामीण हाटों में उच्च क्षमता वाले ड्रेनेज की व्यवस्था कराकर जल-जमाव से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत इमारत का निर्माण

*819. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला नगर निकाय अन्तर्गत भूमिहीन सफाई कर्मियों के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुमंजिली इमारत नहीं रहने से इन भूमिहीन सफाई कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सहरसा नगर निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत बहुमंजिली इमारत बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*820. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया विधान सभा सहित पूरे बिहार में नल-जल योजना के तहत ऑपरेटरों की स्थायी नियुक्ति नहीं होने से आमलोगों को पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक तरैया विधान सभा सहित पूरे राज्य में ऑपरेटरों की स्थायी नियुक्ति जनहित में करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त एवं दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

*821. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहिउद्दीननगर प्रखंड के पंचायत कल्याणपुर बस्ती पश्चिम के पंचायत भवन की भूमि जिसका खाता संख्या 320, खेसरा संख्या 3328, रकबा 2, दो कट्ठा जमीन माननीय राज्यपाल, बिहार सरकार के नाम से 21 दिसम्बर, 1987 को दस्तावेज संख्या 10807/1987 द्वारा दान में दी गई है, जिस पर दो कमरा, शौचालय सहित पंचायत भवन संचालित है, शेष जमीन दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 2857, दिनांक 24 जुलाई, 2023 एवं पत्रांक 3656, दिनांक 3 अगस्त, 2023 द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश होने तथा विभागीय वरीय पदाधिकारी एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अंचलाधिकारी द्वारा भूमि का सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त भूमि का सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त कराने एवं दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना

*822. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौली जिलान्तर्गत किशनपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, महीपट्टी में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति बाधित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय उत्क्रमित होने के कारण विद्यालय विकास कोष निधि नहीं है, जबकि विद्यालय में 10+2 तक की पढ़ाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र/छात्राओं के हित में उक्त विद्यालय परिसर में कबतक शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*823. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के अन्तर्गत भागलपुर और सबौर के क्षेत्रों में गंगा नदी में अवैध रूप से महीन जालों (Zero Size Nets) का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, जिससे मछलियों के अंडों और छोटे बच्चों को छान लिया जाता है, जिस कारण कहलगाँव के स्थानीय मछुआरों की जीविका समाप्त होने के कगार पर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इन प्रतिबंधित जालों का उपयोग करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने और कहलगाँव के मछुआरों के हितों की रक्षा के लिये कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*824. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया स्थित साहुजैन (+2) विद्यालय की जमीन अतिक्रमित होने के कारण बच्चों के समुचित पठन-पाठन व खेलकूद में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय की तमाम जमीन की पैमाईश कराते हुए उसे अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

टेक्निशियन एवं रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति के संबंध में

*825. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 जनवरी, 2026 को प्रकाशित शीर्षक ''40 पशु अस्पतालों में एक्स-रे, अल्ट्रासाउण्ड मशीनें तो लगाई, पर चलाने वाला ही नहीं है'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 40 जिलास्तरीय पशु चिकित्सालयों में एक्स-रे, अल्ट्रासाउण्ड मशीन लगाई गई है, लेकिन मशीन को चलाने के लिए टेक्निशियन एवं रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पशु चिकित्सालयों में टेक्निशियन एवं रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं होने के कारण पशुओं की गर्भ जाँच, रोग की पहचान नहीं हो रही है, जिससे पशुओं के इलाज में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पशु अस्पतालों में टेक्निशियन एवं रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल योजना का क्रियान्वयन करना

*826. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत टिकारी विधान सभा अधीन कोंच व टिकारी प्रखंड के ग्राम पं0 छठवाँ के इस्माईलपुर तथा ग्राम पं0 चैता के अगार गाँव सहित अधिकांश ग्राम पं0 में सात निश्चत योजना के तहत नल-जल योजना में पाइप लाइन एवं मोटर खराब होने से आम जनमानस को पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में विगत कई माह से कनीय अभियंता पोस्टेड नहीं है तथा किसी भी प्रकार की विभागीय सहायता हेतु ग्रामीणों को दूसरे प्रखंड के कनीय अभियंता को सूचना देना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वर्णित प्रखंडों में कनीय अभियंता की पोस्टिंग करते हुए नल-जल योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*827. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत वर्ष 2025 में फल्गु नदी में आई बाढ़ के कारण घोसी विधान सभा के किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई थी, परन्तु अबतक प्रभावित किसानों को अनुदान नहीं मिल पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रभावित किसानों को फसल क्षति के लिए अनुदान/मुआवजा प्रदान करने पर विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*828. श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा, सुधी एवं बैरगनियाँ प्रखंड के किसानों का वर्ष 2025 की बाढ़ एवं वर्षा के कारण बड़े पैमाने पर धान की फसल का नुकसान हुआ है, लेकिन प्रभावित किसानों को अबतक फसल क्षति के मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है ?

शहरीकरण को नियंत्रण करने हेतु विनियामक बनाना

*829. श्री रत्नेश कुमार (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पटना शहर में जमीन मालिक अपने भूमि का प्लॉटिंग कर कॉलोनी का निर्माण करते हैं, लेकिन उक्त कॉलोनियों में पेयजल, सिवरेज, बिजली पोल, तार आदि की कोई कार्य योजना नहीं रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इस तरह के अव्यवस्थित शहरीकरण को नियंत्रण करने हेतु कोई विनियामक (अथॉरिटी) बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कैंप लगाकर सैरातों की बंदोबस्ती

*830. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1). क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत आहर, पोखर एवं फॉल इत्यादि सैरातों की बंदोबस्ती जिला स्तर पर किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सैरातों की स्थानीय स्तर पर बंदोबस्ती की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होने के कारण उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं के बराबर हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर सैरातों की बंदोबस्ती का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय बनाना

*831. श्री मौशरीक मृणाल (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत खानपुर प्रखण्ड मुख्यालय में पशु चिकित्सालय के नहीं रहने से स्थानीय पशुपालकों को पशुओं के ससमय इलाज में कठिनाई होती है एवं आर्थिक क्षति भी हो जाती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड मुख्यालय में यथाशीघ्र पशु चिकित्सालय की स्थापना कर पशुपालकों की कठिनाइयों को कम कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पाइप लाइन को पूर्ण करना

*832. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0 जा0))--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 09 जनवरी, 2026 के अंक में प्रकाशित शीर्षक 'पाइप लाइन नहीं बिछने से उच्च क्षमता की दो बोरिंग चालू नहीं' के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0 30 के शहर हरीशचन्द्र नगर और ज्योतिष पथ में वित्तीय वर्ष 2017-18 में दोनों स्थानों पर उच्च क्षमता वाली बोरिंग का निर्माण कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मुहल्लों में पाइप लाइन का कार्य अधूरा एवं गुणवत्ताविहीन रहने के कारण बोरिंग चालू किये जाने पर बिछाए गए पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अधूरे पाइप लाइन का कार्य कबतक पूर्ण कराते हुए दोनों बोरिंग को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भेण्डरों को स्थान आवंटन

*833. श्री राकेश रंजन (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत में अतिक्रमण हटाने के क्रम में विस्थापित सब्जी विक्रेता, ठेला संचालक तथा भेंडर को स्वरोजगार हेतु स्थाई बाजार उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण वे आजीविका से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर पंचायत में सरकारी जमीन चिन्हित कर ठेला सब्जी विक्रेताओं एवं भेंडरों को आवंटित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर पंचायत बनाना

*834. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के खुदागंज का क्षेत्र नगर पंचायत बनने की सारी अर्हता को पूरा करता है, परन्तु खुदागंज को नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिये जाने के कारण वहाँ के विकास कार्य अवरूद्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार को चालू कराना

*835. श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के गोरेयाकोठी प्रखंड में 40 एवं लकड़ी नबीगंज प्रखंड में 30 जलमीनार, मोटर जलने, पाइप फटने, टंकी फूटने, विद्युत् सप्लाई एवं अनुरक्षकों का मानदेय नहीं मिलने से बंद पड़े हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखंडों में बंद पड़े सभी नल, जलमीनारों को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*836. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के बोधगया नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत नये भवनों के निर्माण से सम्बन्धित नक्शा विगत 10-12 वर्षों से पास नहीं होने के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के होटल एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण नहीं होने से आमजनों को उच्चस्तरीय सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है, साथ ही सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बोधगया नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत नया नक्शा पास कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड का निर्माण

*837. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र के कल्याणपुर एवं कोटवा प्रखंड में एक भी सरकारी बस स्टैंड नहीं है जिससे आम जनमानस को मुजफ्फरपुर, पटना या अन्य किसी जगह पर जाने हेतु 30 किलोमीटर की दूरी तय कर मोतिहारी जाना पड़ता है, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थान पर सरकारी बस स्टैंड का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल मरम्मतीकरण करना

*838. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा नल-जल की मरम्मती पर करोड़ों रुपया का निविदा करने के बाद भी दरभंगा जिला के सिंघवाड़ा प्रखंड के बनौली पंचायत अंतर्गत वार्ड सं0 1 से 14 तक का नल-जल खराब रहने के कारण जलापूर्ति बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सिंघवाड़ा प्रखंड अंतर्गत उक्त पंचायत में खराब पड़े नल-जल की मरम्मतीकरण कर चालू कराने एवं दोषी संवेदक और पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यूरिया उपलब्ध कराना

*839. श्रीमती श्वेता गुप्ता (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला के रैक पॉइंट नहीं होने के कारण किसानों को ससमय खाद की आपूर्ति नहीं हो पाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रीगा चीनी मिल चालू हो जाने से शिवहर जिला में गन्ना की खेती अपेक्षाकृत बढ़ गयी है, जिससे यूरिया की खपत भी बढ़ गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त जिला में किसानों के हित में यूरिया की उपलब्धता ससमय पर्याप्त मात्रा में कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन भू-माफियाओं से मुक्त

*840. श्री गोपाल कुमार अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अंतर्गत दिघलबैंक अंचल के मौजा-मालडांगी, थाना संख्या-398, खाता संख्या-63, खेसरा संख्या-210 में कुल रकबा-05 एकड़ भूमि को दबंगों एवं भू-माफियाओं ने जबरन दखल कर लिया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जबरन कब्जा किए गए उक्त भूमि को दबंगों एवं भू-माफियाओं से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दर्जा देना

*841. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला अंतर्गत प्रखण्ड मुख्यालय पकरीबरावाँ दो ग्राम पंचायत तथा पकरीबरावाँ उत्तरी एवं पकरीबरावाँ दक्षिणी में विभक्त है जिसकी आबादी 50000 (पचास हजार) से अधिक है जहाँ पुलिस अनुमंडल मुख्यालय, प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय, विद्युत् विभाग का अवर प्रमण्डल कार्यालय सहित कई सरकारी बैंक अवस्थित है परन्तु पकरीबरावाँ को ग्राम पंचायत रहने के कारण वहाँ के निवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पकरीबरावाँ उत्तरी एवं दक्षिणी ग्राम पंचायत को मिलाकर नगर पंचायत का दर्जा देने की विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल की आपूर्ति

*842. श्री कुमार प्रणय (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार 'हर घर नल-जल योजना' के तहत राज्य के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए कृत संकल्पित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के मुंगेर विधान सभा अंतर्गत मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं0-19, 35, 36 सहित कुल 45 वार्डों में से 42 वार्डों में 50 % से अधिक नल कनेक्शन अपूर्ण अथवा बंद है तथा शेष चालू नलों में ज्यादातर से लीकेज अथवा अन्य कारणों से पानी की सुचारू रूप से आपूर्ति नहीं होने के कारण आमजनता को शुद्ध पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त नगर निगम अंतर्गत अपूर्ण/बंद तथा लीक कनेक्शनों की समुचित विभागीय जाँच करवाकर इन्हें चालू कराते हुए जनहित में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टैंड का निर्माण

*843. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के केसरिया नगर पंचायत में बस एवं ऑटो के लिए स्थायी स्टैंड नहीं रहने के कारण आये दिन जाम की समस्या तथा दुर्घटना होती रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, केसरिया के पत्रांक 361, दिनांक 17 जुलाई, 2021 तथा पत्रांक 402, दिनांक 05 अगस्त, 2021 द्वारा अंचलाधिकारी, केसरिया से बस/ऑटो स्टैंड बनाने हेतु जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है परंतु अभीतक जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त नगर पंचायत में जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करा कर बस/ऑटो के लिए स्थायी स्टैंड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चौरों में मछली पालन कराना

*844. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर, लखनौर एवं मधेपुर प्रखंड में हजारों हेक्टेयर भूमि जल-जमाव के कारण चौर के रूप में परिवर्तित होकर अनुपयोगी बना हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जल-जमाव क्षेत्र का कार्ययोजना बनाते हुए वृहत पैमाने पर मछली पालन कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सब्सिडी का लाभ देना

*845. श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां (अ0 जा0))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहां एवं मुशहरी प्रखंड में वर्ष 2025 में किसानों के हुये फसल नुकसान को विभागीय अधिकारियों द्वारा शून्य दर्शा दिए जाने के कारण इनपुट सब्सिडी के लाभ से वंचित हो गए हैं, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच करा कर सभी पीड़ित किसानों को कबतक इनपुट सब्सिडी का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमाबंदी विद्यालय के नाम करना

*846. मो० कमरुल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय दामलबाड़ी, मौजा, दामलबाड़ी, खाता संख्या-446, खेसरा संख्या-1162, रकबा-1 एकड़ 50 डिसमिल, ''गैर-मजरूआ खास'' जमीन पर अवस्थित है, जिसके भवन का निर्माण 2016 में हो चुका है तथा वर्तमान में 531 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गैर-मजरूआ खास जमीन का उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से अबतक जमाबंदी दर्ज नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित जमीन की जमाबंदी विद्यालय के नाम दर्ज करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*847. श्री संजय कुमार (क्षेत्र संख्या-183 कुम्हरार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत कंकड़बाग न्यू बाईपास के उत्तर मीठापुर से जीरो माईल तक खुला नाला को ढ़क कर सड़क बनाने का निर्णय विगत 5 वर्ष पूर्व सरकार द्वारा लिये जाने के पश्चात् भी अबतक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं कराने का क्या औचित्य है ?

के०सी०सी० ऋण माफ करना

*848. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत चिरैया विधान सभा क्षेत्र के किसान के०सी०सी० के माध्यम से ऋण लेकर कृषि कार्य करते आ रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत चार वर्षों से ओलावृष्टि, असमय वर्षा, बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं एवं अक्टूबर माह 2025 में हुई अतिवृष्टि से आई बाढ़ एवं मोथा तूफान के कारण उनकी फसलें व्यापक रूप से नष्ट हो गई है, जिसके कारण किसान के०सी०सी० ऋण चुकाने में असमर्थ हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त किसानों का के०सी०सी० ऋण माफ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फिश मार्केट की स्वीकृति

*849. सुश्री मैथिली ठाकुर (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत अलीनगर विधान सभा क्षेत्र में अलीनगर, तारडीह में स्थायी फिश मार्केट नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में बहुतायत मात्रा में मछली का उत्पादन किया जाता है परन्तु फिश मार्केट के अभाव में मछुआरों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक मछुआरों के हित में उक्त प्रखंडों में अत्याधुनिक फिश मार्केट बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपसमाहर्ता भूमि सुधार का पदस्थापन

*850. श्रीमती संगीता देवी (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीमांचल क्षेत्र के पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी अनुमंडल में विगत लगभग 10 महीनों से उपसमाहर्ता भूमि सुधार (DCLR) का पद रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि DCLR के पदस्थापना के अभाव में भूमि सुधार, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भू-विवादों के निष्पादन एवं राजस्व प्रशासन के कार्य प्रभावित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त अनुमंडल में DCLR की पदस्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी एजेंसियों पर कार्रवाई

*851. श्री अरूण कुमार (क्षेत्र संख्या-180 बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर नगर क्षेत्र में स्थापित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक शहर के विभिन्न नालों का गंदा पानी नहीं पहुँच पाता है तथा शहर का गंदा पानी सीधे गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बख्तियारपुर नगर क्षेत्र में वर्षा के दिनों में शहर के नाले का पानी धोवा नदी में बैक फ्लो होने से पूरा बख्तियारपुर नगर क्षेत्र जलमग्न हो जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी एजेंसियों की जवाबदेही तय करते हुये सुधारात्मक कार्रवाई कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

टाउन हॉल का निर्माण

*852. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय में टाउन हॉल नहीं रहने के कारण वहां के नागरिकों और युवाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक गतिशीलता अवरूद्ध दे रही है यदि हाँ, तो सरकार पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय में टाउन हॉल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रखंड का परिवर्तन

*853. श्री सुजीत कुमार (क्षेत्र संख्या-37 राजनगर (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अंतर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड की पंचायत मैलाम एवं गंगाद्वार का भौगोलिक, समाजिक एवं प्रशासनिक जुड़ाव राजनगर प्रखंड से अधिक सुसंगत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायतों को अंधराठाढ़ी प्रखंड से हटाकर राजनगर प्रखंड में शामिल किये जाने संबंधी मांग लंबे समय से की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक उक्त पंचायतों को राजनगर प्रखंड में शामिल करने हेतु प्रशासनिक कार्रवाई करने का विचार रखती है, तो नहीं, क्यों ?

शवदाह गृह का निर्माण कराना

*854. श्री मनोज विश्वास (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज शहर का एकमात्र श्मशान घाट, जो फारबिसगंज-जोगबनी मुख्य सड़क पर अवस्थित है, वह बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अत्यंत जर्जर अवस्था में है, जिससे अंतिम संस्कार के समय आम नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर बुनियादि सुविधायुक्त शवदाह गृह का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु अस्पताल का निर्माण

*855. श्री रणविजय साहु (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत ताजपुर नगर परिषद् क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में पशुपालन कर अपनी जीविका चलाते हैं, परन्तु वहां कोई पशु चिकित्सालय नहीं, है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नगर परिषद् क्षेत्र के रहिमाबाद वार्ड नं०-02 में चित्रसेन पोखर के समीप पर्याप्त भूमि की उपलब्धता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जनहित में वर्णित उपलब्ध भूमि पर पशु अस्पताल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि को अतिक्रमणमुक्त करना

*856. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तार्गत मौजा डकरा, थाना संख्या-224, खाता संख्या-233, खेसरा संख्या-34, 36, 42, 52, 73, 75, 87, 137, 139, 141, 149 160, 167, 177, 240, 244, 247, 258, 262, 335, 376, 465, 481, 484, 485, 487, 516, 526, 567, 575, 578, 583, 610, 620, 639, 644, 647, 649, 651, 658, 664, 696, 697, कुल रकबा-74.50 एकड़ गैर-मजरूआ बिहार सरकार भूमि पर तपेश्वर मंडल, धीरन मण्डल, बीरन मण्डल, गंगाराम मण्डल इत्यादि ग्राम-भवानीपुर, थाना-अमदाबाद, जिला-कटिहार का अवैध कब्जा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फॉर्मर रजिस्ट्रेशन कराना

*857. श्री संतोष कुमार निराला (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत किसानों के भूमि का रजिस्ट्रेशन (एफ०आर०) किया जाना सुनिश्चित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिलान्तर्गत रामपुर अंचल के किसानों को भूमि रजिस्ट्रेशन (एफ०आर०) करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त अंचल के ग्राम स्तर पर कैम्प लगाकर फॉर्मर रजिस्ट्रेशन (एफ०आर०) कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल निकासी योजना क्रियान्वित करना

*858. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनु सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के डेयरी डालमियानगर शाहबाद का प्रमुख शहर है, जो सोन नदी एवं नहरों के बीच स्थित होने के बावजूद खराब ड्रेनेज सिस्टम के कारण जल-जमाव की विकराल समस्या से जूझता रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नालियों में प्लास्टिक आदि कचरा भरे रहने एवं अवैध अतिक्रमण और सुनियोजित जल निकासी योजना के अभाव के कारण विशेष कर बरसात के मौसम में वहां के नागरिकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार डेहरी डालमियानगर के हितार्थ सुनियोजित जल निकासी योजना को कबतक क्रियान्वित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंचलाधिकारी की पदस्थापना

*859. श्रीमती मनोरमा देवी (क्षेत्र संख्या-232 बेलागंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत नगर अंचल गयाजी का कार्य क्षेत्र 33 हल्का में है, जिसमें 16 ग्राम पंचायत एंव 17 शहरी क्षेत्र है, परंतु उक्त अंचल में एक ही अंचलाधिकारी की पदस्थापना रहने से अत्याधिक कार्य भार रहने के कारण दाखिल-खारिज, परिमार्जन एवं जमीन से संबंधित हजारों मामले लंबित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अंचल को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बाँटकर दो अंचलाधिकारी की पदस्थापन होने से जमीन संबंधी लंबित हजारों मामले का निपटारा त्वरित गति से होगा, जिससे आमजन लाभान्वित होंगे है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जनहित में गया सदर अंचल को दो क्षेत्र में बाँटकर ग्रामीण क्षेत्र के लिये एक अतिरिक्त अंचल कार्यालय की स्थापना कर अंचलाधिकारी की पदस्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण कार्य को पूर्ण करना

*860. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, नगर निकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर अनुमंडल में अवस्थित खगौल चक्रदाहा मोड़ से नवरतनपुर मुसहर टोली तक विभागीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024-2025 में नाला निर्माण कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा चक्रदाहा मोड़ से श्याम बिहारी के घर तक विगत 1 वर्ष पूर्व अर्द्धनिर्मित कार्य कराकर लगभग 500 मीटर पहले ही छोड़ दिया गया है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक अर्द्धनिर्मित नाला निर्माण कार्य को मुसहर टोली तक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*861. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोगक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत प्रखंड अमौर एवं बैसा में राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड तो बन गया है किन्तु पॉश मशीन में कार्ड धारकों का नाम सो नहीं कर रहा है, जिसके कारण उक्त क्षेत्रों के कार्डधारकों को जन-वितरण प्रणाली के बिक्रेताओं द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इस तकनीकी समस्या का सामाधान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना

*862. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा के लदनियाँ प्रखंड अंतर्गत पदमा पंचायत के वार्ड नं0 15 में घत्ताटोल से जगदीश यादव के घर से आगे तक हर घर नल-जल योजना का कार्य अधूरा पड़ा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसकी जाँच कराकर, दोषी पर कार्रवाई करते हुए वर्णित स्थलों को उक्त योजना का लाभ पहुँचाने एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमाबंदी निरस्त करना

*863. श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन जी (क्षेत्र संख्या-145 साहेबपुर कमाल)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के इस्लामपुर अंचल खाता नं0 521, प्लॉट 719, रकबा 13 डी0, खाता 521, प्लॉट 736, रकबा 13 डी0, खाता सं0 361, प्लॉट 5410-06 डी0 एवं खाता सं0 522, प्लॉट 650 रकबा 43 डी0 जमीन का फर्जी तरीके से ऐसे व्यक्ति के पुत्र के नाम जमाबंदी कायम कर दिया गया है, जिनकी खतियानी रैयत के वंशावली में कही जिक्र भी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त फर्जीवाड़ा जमीन की जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए कायम जमाबंदी निरस्त करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना

*864. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के खुशकीबाग में 40 हेक्टेयर में कृषि फॉर्म है, जिसके कुछ हिस्सों में बीज संबंधी कृषि कार्य होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीमांचल क्षेत्र मक्का, मखाना, पाईन एप्पल, बेबी कॉन, स्वीट कॉन, हरी मिर्च एवं मछली के उत्पादन का बहुत बड़ा एरिया है परंतु पूसा (समस्तीपुर) एवं नालंदा के तर्ज पर पूर्णियाँ में मक्का सहित अन्य फसलों को बढ़ावा देने एवं उन्नत खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं रहने से वहाँ के किसानों को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्णियाँ में कृषि फॉर्म की उक्त भूमि पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण एवं पार्क का निर्माण

*865. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया नगर परिषद् अंतर्गत मन झील एवं मेहसी नगर पंचायत अंतर्गत बहादुरपुर से तारा पाकड़ छठ घाट तक जल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण एवं पार्क का निर्माण कराए जाने हेतु, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 1547, दिनांक 18 जून, 2025 के माध्यम से सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को आवश्यक कार्रवाई किये जाने से संबंधित पत्र प्रेषित किया जा चुका है, लेकिन अबतक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त वर्णित दोनों स्थलों पर पर्यटकीय दृष्टि से सौंदर्यीकरण एवं पार्क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण कराना

*866. श्री प्रमोद कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज नगर पंचायत वासियों के स्वास्थ्यवर्द्धन हेतु पार्क नहीं रहने से बच्चों व युवाओं को खेलकूद, व्यायाम, वाकिंग के साथ-साथ शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पाता है, जबकि रफीगंज डाकबंगला के धावा नदी के किनारे पार्क निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक रफीगंज पंचायत में उक्त स्थान पर पार्क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का जीर्णोद्धार

*867. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत नगर पंचायत सुगौली में बस स्टैण्ड चौक से हॉस्पिटल, प्रखंड कार्यालय, निरीक्षण भवन होते हुए सुगौली स्टेशन जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क जर्जर रहने के कारण बरसात के समय पथ पर जल-जमाव हो जाता है, जिससे आमजन को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सैटेलाइट शहर बनाना

*868. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कोशी प्रमंडल अंतर्गत सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल जिला मुख्यालय मात्र 20 से 40 कि0मी0 की परिधि में अवस्थित है, तथा ये तीनों जिला बाढ़ प्रभावित होने के कारण राज्य के अन्य जिलों से काफी पीछे है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में सैटेलाइट शहर के तर्ज पर शहरों का विकास करने की सरकार की योजना है, जिसमें कोशी क्षेत्र का ये तीनों जिला मुख्यालय शामिल नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला मुख्यालयों को मिलाकर एक सैटेलाइट शहर के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*869. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत इसुआपुर अंचल, के प्राचीन शिव मंदिर साढ़वारा के पास मौजा चहपुरा, खाता नं0 186, सर्वे नं0 179, रकबा 4 कट्ठा 11 धूर एवं खाता नं0 186, सर्वे नं0 212, रकबा 8 कट्ठा 1 धूर तथा खाता नं0 187, सर्वे नं0 213, रकबा 1 बीघा, 2 कट्ठा 17 धूर जमीन वर्षों से अतिक्रमण कर दुकान एवं पक्का मकान का निर्माण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार शिव मंदिर के जमीन को कबकतक अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*870. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत चोरा टभका, खास टभका, विभूतिपुर उत्तर एवं पूरब, भूसवर, साखमोहन आदि पंचायतों में घोड़परास (नीलगाय) एवं जंगली सुअरों द्वारा रबी फसलों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक, फसल क्षति को रोकने हेतु स्थायी निदान करते हुये प्रभावित किसानों को फसल क्षति का मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऑटो स्टैंड का निर्माण

*871. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला अंतर्गत पिपरा विधान सभा क्षेत्राधीन मुख्य बाजार किशनपुर एवं पिपरा में सरकारी ऑटो/रिक्शा स्टैंड नहीं रहने के कारण आये दिन वहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे वृद्धजन, गर्भवती महिलाओं, बीमार व्यक्तियों को यातायात में कठिनाई होता है, जबकि स्टैंड निर्माण हेतु वहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार पिपरा विधान सभा क्षेत्र के मुख्य बाजार में ऑटो/रिक्शा स्टैंड का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जन वितरण प्रणाली की दुकान खोलना

*872. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत फेनहारा प्रखंड के मनकरवा पंचायत के वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 10 में वर्तमान में एक भी जन-वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0) की दुकान नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वार्डों के निवासियों को राशन प्राप्त करने हेतु 5 कि0मी0 दूर मड़पा या कालुपाकर में स्थित पी0डी0एस0 दुकानों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में मनकरवा पंचायत के उपर्युक्त वार्डों में कबतक आवश्यकतानुसार नवीन जन-वितरण प्रणाली की दुकान स्वीकृत कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*873. श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत नगर परिषद् बैरगनिया में अवकारी चौक से हजारी मील, कर्वला चौक होते हॉस्पीटल तक बाईपास सड़क का निर्माण वित्तीय वर्ष 2024-2025 में नगर परिषद् बैरगनिया द्वारा कुल प्राक्कलित राशि 22760355.00 की लागत से कराया जा रहा है, जिसमें कर्वला चौक बैरगनिया सहित कई स्थानों पर सड़क अतिक्रमित है, जिसके कारण सड़क का निर्माण कार्य बाधित हो रहा है, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक नगर परिषद् बैरगनिया के बाईपास सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

श्मशान घाट का निर्माण

*874. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट (गोड़ारी) नगर पंचायत के वार्ड नं0 02 में श्मशान घाट का निर्माण नहीं होने से उक्त क्षेत्र की जनता को शवदाह में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड में कबतक श्मशान घाट का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पैक्स गोदाम का निर्माण

*875. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रखंड पकड़ीबरावां के कोनन्दपुर पंचायत में पैक्स गोदाम बहुत ही छोटा है, जिसके कारण अनाज के भण्डारण में परेशानी हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कोनन्दपुर पंचायत में पैक्स का गोदाम निर्माण करने हेतु सरकारी जमीन भी उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत में बड़ा पैक्स गोदाम का निर्माण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

फसल बीमा का लाभ देना

*876. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया नगर पंचायत के 75 प्रतिशत भू-भाग में खेती होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नगर पंचायत में फसल नष्ट होने पर किसानों को फसल सहायता का लाभ इस आधार पर नहीं दिया जाता है कि यह नगर क्षेत्र है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार केसरिया नगर पंचायत के किसानों को उनकी फसलों का नुकसान होने पर मुआवजा राशि भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

FRK की आपूर्ति सुनिश्चित करना

*877. मो० कमरुल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में किशनगंज जिलान्तर्गत FRK (fortified rice kernel आपूर्ति नहीं होने से CMR (Custom Milled Rice) का आगत प्रारंभ नहीं हो सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में FRK आपूर्ति हेतु मुख्य महाप्रबंधक अधिप्राप्ति खाद्य निगम पटना द्वारा "जय फूड्स प्राईवेट लिमिटेड" को संबद्ध किया गया है, किन्तु उनके द्वारा FRK की आपूर्ति नहीं की जाती है, इसलिये जिलाधिकारी किशनगंज के पत्रांक-8, दिनांक 6 जनवरी, 2026 एवं जिला प्रबंधक राज खाद निगम, किशनगंज के पत्रांक 23, दिनांक 9 जनवरी, 2026 द्वारा मुख्य महाप्रबंधक अधिप्राप्ति खाद्य निगम पटना को FRK आपूर्ति नहीं होने की सूचना दी गयी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक किशनगंज जिला में FRK की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता को संबद्ध करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*878. श्री संजय कुमार (क्षेत्र संख्या-183 कुम्हरार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के कुम्हरार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नाला रोड, राजेन्द्रनगर, मछुआटोली, शनिचरा के अंबेडकर कॉलोनी में महादलितों के लिये बनाये गये भवन पिछले दो वर्षों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहने के कारण आवासित लोगों को दुर्घटना की आशंका व्याप्त रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भवनों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सालय का निर्माण एवं चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति

*879. श्री अरूण कुमार (क्षेत्र संख्या- 180 बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दनियावाँ प्रखंड के फरीदपुर में पशु चिकित्सालय अवस्थित पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त को चुका है तथा पशु चिकित्सक एवं कर्मी भी उपस्थित नहीं रहते हैं, जिस कारण पशुपालकों को निजी डॉक्टर से इलाज कराना पड़ता है जिससे उन्हें आर्थिक क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पशु चिकित्सालय भवन का नए सिरे से निर्माण कराकर पशु चिकित्सक एवं कर्मी की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल निकासी कराना

*880. श्री मनोज विश्वास (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड में मुख्य मार्ग सदर रोड पर हल्की बारिस होने पर जल-जमाव हो जाता है, जिस कारण ग्रामीण जनता, दुकानदार, मरीजों को आने-जाने में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर बुड़को द्वारा नाला का निर्माण किया गया है, पर तकनीकी कर्मियों के कारण जल निकासी नहीं हो पाता है, नाला निर्माण में मानक का उपयोग नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नाला की तकनीकी गुणवत्ता की जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों को दंडित करते हुये सदर रोड पर स्थायी जल निकासी हेतु समग्र ड्रेनेज प्लान बनाकर जल निकासी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उचित भंडारण करना

*881. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर एवं मोरवा प्रखंडों में किसानों द्वारा बड़ी संख्या में फल एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त दोनों प्रखंडों में फल एवं सब्जियों के भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता है और उन्हें कम भाव में अपना उत्पाद बेचना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखंडों में किसानों के फल एवं सब्जी उत्पादों के उचित भंडारण के लिये कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*882. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत नगर पंचायत, अमदाबाद के सभी वार्ड में 04-04 सफाईकर्मियों का नियोजन किया गया है, लेकिन केवल वार्ड संख्या-08 एवं 10 में ही सफाई का कार्य होता है, परंतु सभी वार्ड के सफाईकर्मियों के नाम पर प्रतिमाह 7,00,000 (सात लाख) रु० की निकासी की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर भवन की मरम्मती

*883. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत डेहरी ऑन सोन में स्थित नगर भवन (नगर परिषद् सभागार) लम्बे समय से मरम्मती तथा रख-रखाव के अभाव एवं प्रशासनिक उदासीनता के कारण भवन का ढांचा कमजोर हो गया है और दीवारों से प्लास्टर गिर रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्राचीन नगर भवन में वर्षों से महत्वपूर्ण सरकारी बैठकें, प्रशासनिक समारोह, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन होता रहा है तथा यह इस शहर का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त महत्वपूर्ण धरोहर ''नगर भवन'' की मरम्मती एवं आधुनिकीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*884. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला मुख्यालय विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बेलौड़ी, गुदरा घाट, बाईपास के समीप मुक्तिधाम (श्मशान घाट) का निर्माण नहीं होने से स्थानीय नागरिकों को अंतिम संस्कार हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर मुक्तिधाम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटनाः
दिनांक 12 फरवरी, 2026 (ई०) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि०स०मु० -24 (एल०ए०), 2025-26 डी० टी० पी०-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026